

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042022-234947
CG-DL-E-07042022-234947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1616]
No. 1616]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2022

का.आ. 1699(अ).—केंद्रीय सरकार फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 (2017 का 20) की धारा 18 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, कार्यकारी निदेशक भर्ती नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, कार्यकारी निदेशक भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान, कार्यकारी निदेशक भर्ती नियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), में नियम 4 में,-

(i) उप-नियम (2) में, “संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग” शब्दों के स्थान पर “उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, भारत सरकार, चमड़ा और फुटवियर प्रभाग के प्रभारी” शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उप-नियम (4) में, “वाणिज्य विभाग” शब्दों के स्थान पर “उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग” शब्दों को रखा जाएगा;

(iii) उप-नियम (6) में, “वाणिज्य विभाग” शब्दों के स्थान पर “उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग” शब्दों को रखा जाएगा;

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, स्तंभ 12 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा:-

“विभागीय चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

- (क) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, भारत सरकार, चमड़ा और फुटवियर प्रभाग के प्रभारी – अध्यक्ष;
- (ख) फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के प्रबंध निदेशक अथवा इनकी अनुपस्थिति में फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के सचिव – सदस्य
- (ग) चमड़ा उद्योग से एक सदस्य जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा – सदस्य;
- (घ) केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अथवा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान जैसे प्रमुख संगठनों से ख्यातिप्राप्त बाहरी विशेषज्ञ, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा – सदस्य।”

[फा. सं. 27011/1/2022-चमड़ा]

राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 842(अ), तारीख 5 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2022

S.O. 1699(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (1) of section 18 of the Footwear Design and Development Institute Act, 2017 (20 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Executive Director Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Executive Director Recruitment (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Executive Director Recruitment Rules, 2018 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4,-
 - (i) in sub-rule (2), for the words "Joint Secretary, Department of Commerce", the words "Additional Secretary or Joint Secretary to the Government of India in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, in-charge of Leather and Footwear Division" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (4), for the words "Department of Commerce", the words "Department for Promotion of Industry and Internal Trade" shall be substituted;
 - (iii) in sub-rule (6), for the words "Department of Commerce", the words "Department for Promotion of Industry and Internal Trade" shall be substituted.

3. In the Schedule to the said rules, for the entries under column 12, the following entries shall be substituted, namely:-

"Departmental Selection Committee consisting of:-

- (a) Additional Secretary or Joint Secretary to the Government of India in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, in-charge of Leather and Footwear Division — Chairperson;
- (b) Managing Director of the Footwear Design and Development Institute or in his absence Secretary of the Footwear Design and Development Institute — Member;
- (c) One member from Leather Industry to be nominated by the Central Government – Member; and
- (d) One outside expert of eminence from prominent organizations like Central Leather Research Institute or National Institute of Fashion Technology or Indian Institute of Technology or National Institute of Design to be nominated by the Central Government – Member."

[F. No. 27011/1/2022-Leather]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) , vide number G.S.R. 842 (E), dated the 5th September, 2018.